कार्यालय : नगर निगम गोरखपुर

पत्रांक :-489/न0आ0/रेन्ट(विज्ञापन)/न0नि0गो0/2024–25 दिनांक: 03 दिसम्बर, 2024

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, गोरखपुर सीमान्तर्गत प्राईवेट भूमि/भवनों पर लगने वाले विज्ञापन संसाधनो का गोरखपुर नगर निगम (विज्ञापन शुल्क का निर्धारण व वसूली) उपविधि–2020 में निर्दिष्ट नियम/शर्तो के अनुसार जिन भवन स्वामियों/एजेन्सीयों/फर्मो द्वारा प्राईवेट भूमि/भवनों पर विज्ञापन संसाधन स्थापित किया गया है अथवा स्थापित किया जाना है। उन भवन स्वामियों/एजेन्सीयों/फर्मो द्वारा स्थापित किये जाने वाले विज्ञापन पट्ट का नियमावली में उल्लिखित नियम/शर्तों के अनुसार विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार जिन भवन स्वामियों/एजेन्सीयों/फर्मो द्वारा अपने प्राईवेट भूमि/भवनों पर विज्ञापन संसाधन स्थापित किया गया है अथवा स्थापित किया जाना है। इच्छुक भवन स्वामियों/एजेन्सीयों/फर्मो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर विज्ञापन विभाग, नगर निगम, गोरखपुर में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। नियम/शर्ते वेवसाइट– www.nagarnigamgkp.org अथवा नोटिस बोर्ड नगर निगम, गोरखपुर पर देखी जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी विज्ञापन
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निमम, गोरखपुर।

New website- gorakhpurnagarnigam.up.gov.in

Vig.-262

कार्यालय : नगर निगम गोरखपुर

नगर निगम, गोरखपुर सीमान्तर्गत निजी भूमि/भवनों पर लगने वाले विज्ञापन संसाधनो के अधिष्ठापन के लिए नियम/शर्तेः–

1– यह कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर के अनुमति के उपरान्त विज्ञापन संसाधन अधिष्ठापित किया जाना होगा।

2– यह कि नगर निगम, गोरखपुर सीमान्तर्गत प्राईवेट भूमि/भवनों पर लगने वाले विज्ञापन संसाधनो का गोरखपुर नगर निगम (विज्ञापन शुल्क का निर्धारण व वसूली) उपविधि–2020 में उल्लिखित भाग सं0–8 के नियम 1 व 5 (3) अनुसार निम्नवत है:–

प्रवर श्रेणी क्षेत्र	: रू0 3419.00 (तीन हजार चार सौ उन्नीस) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"अ" श्रेणी क्षेत्र	: रू0 2614.00 (दो हजार छः सौ चौदह) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"ब" श्रेणी क्षेत्र	: रू0 2178.00 (दो हजार एक सौ अठहत्तर) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"स" श्रेणी क्षेत्र	: रू0 1743.00 (एक हजार सात सौ तैतालिस) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त निर्दिष्ट दरो पर 75 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

3– यह कि गोरखपुर नगर निगम (विज्ञापन शुल्क का निर्धारण व वसूली) उपविधि–2020 में उल्लिखित उक्त दरों के अनुसार कुल देय विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क सम्पूर्ण एक मुस्त जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

4– यह कि समस्त संरचनाओं को किसी भी सरकारी पैनलबद्ध संरचनात्मक अभियंता द्वारा प्रमाणित कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि अनुज्ञप्ति विज्ञापन में प्रयुक्त सामग्रीयों के भार/वजन से भवन के सम्पूर्ण अथवा किसी अंश पर कोई खतरा अथवा प्रतिकूल प्रभाव नही होगा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5– यह कि भवन स्वामी/लाइसेंसधारी द्वारा भी इस आशय का प्रमाण पत्र (शपथ पत्र सहित) प्रस्तुत करना होगा कि उनके भवन की भार क्षमता पर स्थापित होने वाले विज्ञापन संसाधन के अनुकूल संसाधन के अधिष्ठापित होने से किसी प्रकार की दूर्घटना होती है एवं जनधन की हानि होने की दशा में समस्त जिम्मेदारी भवन स्वामी/लाइसेंसधारी की होगी।

6– यह कि भवन स्वामी एवं लाइसेंसधारी के मध्य अनुबन्ध पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7– यह कि नियमावली में निर्दिष्ट साइज के अनुसार विज्ञापन संसाधन अधिष्ठापन करना होगा।

8– यह कि लाइसेंसधारी को अपने विशेष अधिकारों, हितों और तीसरे पक्ष के प्रति देयताओं के लिए सार्वजनिक देयता बीमा पालिसी प्राप्त करनी होगी और उसे बनाये रखना होगा, जो अनुज्ञप्ति का अंश होगा। अन्यथा की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी।

9– यह कि निजी भूमि/भवनों पर लगने वाले विज्ञापन संसाधनों को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

10– यह कि गोरखपुर नगर निगम (विज्ञापन शुल्क का निर्धारण व वसूली) उपविधि–2020 में उल्लिखित नियम/शर्तो के अनुसार निजी भूमि/भवनों पर विज्ञापन संसाधन स्थापित करना होगा। नियमावली के उल्लघन किये जाने की स्थिति में 600/– प्रतिदिन प्रति अनुज्ञा/विज्ञापन ईकाई की दर से जुर्माना आरोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

11– यह कि विज्ञापन संसाधन अधिष्ठापित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी नियमावली एवं आदेश का पालन करना होगा।

12– यह कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र मा0 न्यायालय गोरखपुर होगा।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर।

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर।